न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 236 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/254)
पंजीयन दिनांक– 01.07.2021
निर्णय दिनांक– 29.10.2021

1. श्री दिलखुश पिता रतनलाल जाट, निवासी नन्नाणा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 035 / 2020 निर्णय दिनांक 18.02.2021

निर्णय

दिनांक 29.10.2021

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 035 / 2020 निर्णय दिनांक 18.02.2021 के विरूद्ध दिनांक 29.06.2021 को कोविड–19 के तहत राज्य सरकार, राजस्व मण्डल राजस्थान एवं उच्च न्यायालय द्वारा लॉक डाउन के अंतर्गत जारी किये गये

आदेश के अनुसार कानून में वर्णित मयाद अग्रिम आदेश तक स्थगित रखी जाने के निवेदन के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि अपीलांट के विरूद्ध आराजी नम्बर 1175 की बेदखली की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपने उच्चाधिकारी से प्राप्त प्रशासनिक आदेश के उनकी मंशा अनुरूप खानापूर्ति कर तय एवं बना रखे आदेश में महज रिक्त स्थानों की पूर्ति कर बिना कोई प्रक्रिया अपनायें और प्राकृतिक न्याय के लिए सुनवाई का अवसर दिये बिना पूर्व में तय आदेश प्रसारित कर दिया। जिस पर अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के यहां एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश न्याय, नियम एंव वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 035/2020 निर्णय दिनांक 18.02.2021 से अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भदेसर का निर्णय दिनांक 22.09.2020 को यथावत रखा जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.02.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि चरागाह दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार, भदेसर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। इसके साथ ही अपीलांट स्वयं चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है। चारागाह भूमि*

गांव के मवेशी चराने की भूमि होती है, इस पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांट राजस्व भू राजस्व (सिचाई प्रयोजनार्थ) कुंए खोदने व पम्प लगाने के लिए भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 क के अनुसार नियमन की पात्रता रखता है, अगर अपीलांट उक्त नियमो के संबंध में किसी भी प्रकार से पात्रता रखता है तो अपीलांट इस संबंध में सक्षम स्तर से चारागोही किये जाने के लिये स्वतंत्र है, किन्तु वर्तमान स्थिति में विवादित आराजीयात चरागाह दर्ज अभिलिखित है ऐसी स्थिति में अपीलांट विवादित आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.09.2020 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.09.2020 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.09.2020 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, भदेसर के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण राजस्व अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भदेसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2020 को यथावत रखा जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 25.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार, भदेसर में पटवारी हल्का, नन्नाणा के द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट अतिक्रमी ने मौजा नन्नाणा, तहसील भदेसर की चारागाह आराजी नम्बर 1175 पर अतिमक्रमण कर लिया है, जिसके विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की जाकर बेदखल किया जावे। आराजी नम्बर 1178 अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है व उक्त आराजी से लगी हुयी आराजी नम्बर 1175 अवस्थित है, जिस पर अपीलान्ट ने कुंआ व ट्युबबेल खुदवा रखा है व उक्त आराजी नम्बर 1175 का अपीलान्ट चाह के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व अपने खातेदारी की आराजीयात की सिंचाई करता चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में आराजी नम्बर 1175 जो चारागाह भूमि दर्ज रेकार्ड है व उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कुंआ व टयुबबेल खुदा हुआ है, जिससे अपीलान्ट राजस्व भू राजस्व (सिचाई प्रयोजनार्थ) कुंए खोदने व पम्प लगाने के लिए भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 क के अनुसार नियमन कराये जाने का अधिकारी है फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्ट को उक्त आराजीयात से बेदखल किये जाने का निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपने निर्णय में अपीलान्ट किस तरह से अतिक्रमी व मौके पर किस तरह से अतिक्रमण कर रखा है, कही स्पष्ट नहीं किया व छपे–छपाये फार्म पर खानापूर्ति कर निर्णय पारित कर दिया ऐसी स्थिति मे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2020 अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है, विवादित आराजीयात पर अपीलांट का पुराना कब्जा चला आ रहा है, जो नियमन योग्य कब्जा था। जिस पर प्रथम अपलीलय न्यायालय द्वारा भी विचार नही किया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय को दिनांक 22.09.2020 को यथावत रखाये जाने का निर्णय पारित किया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य होकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता है। प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह की भूमि आवंटन/नियमन योग्य नही है। चरागाह की भूमि पशुओं की चराई के लिये आरक्षित होती है, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। चरागाह भूमि पर पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, भदेसर के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 18.02.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2021 को किया गया था। उक्त निर्णय के सन्दर्भ में अपीलाण्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.06.2021 को प्रस्तुत की गयी। अपील में कलम संख्या 11 में वर्णित किया है कि वकील साहब द्वारा 12 मार्च, 2021 को आवेदन कर नकल प्राप्त की गयी एवं इस दौरान कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होने के कारण अपील दिनांक 29.06. 2021 को प्रस्तुत की गयी है। वर्णित तथ्यों व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अपील अंदर मयाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भदेसर द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध ग्राम नन्नाणा की चारागाह आराजी नं0 1175 रकबा 0.15 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जे के कारण उसे अतिक्रमण का नोटिस दिनांक 07.09.2020 को जारी किया गया जिस पर 22.09.2020 की पेशी है। अपीलाण्ट के हस्ताक्षर है एवं अपीलाण्ट द्वारा उक्त आगामी तिथि 22.09.2020 को उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.09.2020 से अपीलाण्ट को बेदखल व जुर्माने से आरोपित किया। प्रकरण में तहसीलदार की पत्रावली से

यह स्पष्ट होता है कि इस सन्दर्भ में जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जो कि **Quasi Judicial** प्रकृति की समिति होती है, उसके निर्देशों के तहत चारागाह भूमि में अतिक्रमण हटाने बाबत् निर्देश भी दिया गया था। प्रकरण में तहसीलदार की पत्रावली से यह भी स्पष्ट होता है कि निर्माण कार्यों को जे. सी.बी. के माध्यम से हटाया व मौके पर चारागाह में दो ट्यूबवैल तथा एक कुआं भी होना वर्णित है तथा यह तथ्य पटवारी द्वारा पर्चा मौके में वर्णित अनुसार उक्त विवादित आराजी में ट्यूबवैल व कुआं होने के तथ्य वर्णित है। आश्चर्यजनक रूप से उक्त आराजी में फर्द नीलामी फसल खरीफ में अपीलाण्ट स्वयं भी एक बोलीदार रहा है तथा नीलामी सुशीला पत्नी रतनलाल के नाम 500/—रू0 में स्वीकृत हुई है। तहसीलदार के उक्त अतिक्रमण प्रकरण संख्या 76/2020 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2020 की प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के यहां किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 35/2020 निर्णय दिनांक 18.02.2021 से अपील अपीलाण्ट खारिज कर दी जिससे रूष्ठ होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाण्ट द्वारा प्रमुखतः अतिरिक्त जिला कलक्टर के यहां लिये गये उजरात का ही विवेचन किया है तथा जो उज्र लिये हैं उसमें यह वर्णित किया है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नं0 1178 से लगी हुई है जिसमें कुआं व ट्यूबवैल उसने खोद रखे हैं। प्रशासनिक आदेशों के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना तहसीलदार द्वारा निर्णय किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार के उक्त निर्णय की आपत्तियों के सन्दर्भ में हम यह पाते हैं कि तहसीलदार द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया है। भूमि चारागाह है, इसमें कोई संशय नहीं है तथा चारागाह भूमि के आवंटन/नियमन के लिए अपीलाण्ट द्वारा कोई आवेदन किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। तहसीलदार के निर्णय की तकनीकी त्रुटियों के स्थान पर भूमि चारागाह नहीं होने अथवा अपीलाण्ट का अतिक्रमण नहीं होने या अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर स्वत्व होने की कोई साक्ष्य नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 28.10.2021 को राजस्व विभाग का एक परिपत्र दिनांक 11.01.2013 प्रस्तुत किया है जिसमें राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने और पम्प लगाने के लिए भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 12–क में चारागाह भूमि पर खोदे गये कुएं, ट्यूबवैल एवं पम्पिंग सेट की भूमि को नियमन बाबत् निर्देश वर्णित है। इन निर्देशों में 5 वर्ष या अधिक पुराने होने, खातेदार की कृषि भूमि से लगती हुई भूमि होने, चारागाह के बीच में नहीं होने, चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हो जाने व अन्य शर्तों की पालना किये जाने का वर्णन है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा इस प्रकार की शर्तों की पालना की जा रही हो अथवा पता हो अथवा उसने आवेदन प्रस्तुत कर रखा हो, ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि पटवारी हल्का नन्नाणा साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुआ है तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों एवं बहस पर बिना विचार कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट यह कथन करता है कि अपीलाण्ट को तहसीलदार द्वारा कोई नोटिस ही नहीं दिया गया तथा उसके खाली फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवा लिये गये। अपीलाण्ट भू–आवंटन नियम 1979 के तहत अपनी अतिक्रमित भूमि, कुआं व भूमि नियमन किये जाने का अधिकारी है। अपीलाण्ट के उक्त उजरात के सन्दर्भ में हम यह पाते हैं कि अपीलाण्ट को नोटिस दिया जाना प्रमाणित है एवं उसकी पालना में वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा भूमि चारागाह होने व उस पर अपीलाण्ट का कोई स्वत्व नहीं होना तथा आवंटन या नियमन के लिए उसके द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत किये जाने की साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जब प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को उक्त अतिक्रमित भूमि पर यदि उसके द्वारा कुआं, ट्यूबवैल खोद रखे हैं तो उनके नियमन हेतु प्रावधान है तो उसे उसके लिए आवेदन करना चाहिये एवं आवेदन लम्बित होने की साक्ष्य प्रस्तुत करनी चाहिये थी, जो उसके द्वारा नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में विवादित चारागाह भूमि पर अपीलाण्ट के अतिक्रमी होने को अप्रमाणित माना जाना उचित नहीं है एवं अपीलाण्ट स्पष्टतया चारागाह भूमि का अतिक्रमी है एवं तद्नुसार तहसीलदार द्वारा

उक्त अतिक्रमी को बेदखल करने, जुर्माना करने के निर्णय एवं अपीलाण्ट की प्रथम अपील को खारिज करने के निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर